



सिक्किम विश्वविद्यालय SIKKIM UNIVERSITY

(भारत के संसद के अधिनियम द्वारा वर्ष 2007 में स्थापित और नैक (एनएएससी) द्वारा वर्ष 2015 में प्रत्यायित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
(A central university established by an Act of Parliament of India in 2007 and accredited by NAAC in 2015)

SU/REG/F-2/50/2018/Vol-I/980

दिनांक: 28 अगस्त 2018

अधिसूचना - 103 /2018

यूजीसी के (उच्च शिक्षा संस्थानों में छात्रों और महिला कर्मचारियों पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम, निषेध और निवारण) विनियम 2015 की धारा 4 को पढ़ते हुए कार्यस्थल में महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013 के अनुपालन में कुलपति महोदय ने विश्वविद्यालय की आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) में निम्नलिखितों को इस अधिसूचना जारी होने की तिथि से 3 वर्षों की अवधि के लिए नियुक्त किया है :

क्र.सं.	नाम एवं पदनाम	पदभार
1.	डॉ. स्वाति अक्षय सचदेवा सह प्राध्यापक, समाजशास्त्र विभाग	पीठासीन अधिकारी
2.	डॉ. (सुश्री) बेला सितुरी सिक्किम स्वैच्छिक स्वास्थ्य संघ, तादोंग, गंगटोक	बाह्य सदस्य
3.	डॉ. योडीदा भूटिया सह प्राध्यापक, शिक्षा विभाग	सदस्य
4.	डॉ. बिमला सिंह सहायक प्राध्यापक, सूक्ष्म जीव विज्ञान विभाग	सदस्य
5.	सुश्री सर्बदा प्रधान सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष	सदस्य
6.	श्रीमती दक्षता लवर अपर श्रेणी लिपिक	सदस्य
7.	सुश्री प्रेरणा ढकाल पीएचडी स्कॉलर, प्राणिविज्ञान विभाग	सदस्य
8.	सुश्री आलिसा प्रधान पीएचडी स्कॉलर, विधि विभाग	सदस्य
9.	सुश्री जानुका शर्मा एमए की छात्रा, जनसंचार विभाग	सदस्य

यह अधिसूचना दिनांक 11 मई 2015 को जारी अधिसूचना-32/2015 को निरस्त करती है।

वितरण :

1. कुलपति के सूचनार्थ कुलसचिव के निजी सचिव
2. कुलसचिव के निजी सचिव
3. वित्त अधिकारी
4. परीक्षा नियंत्रक
5. पुस्तकालयाध्यक्ष
6. सभी अध्ययन विद्यापीठ के डीन
7. छात्र कल्याण डीन
8. सभी विभागों के अध्यक्ष/प्रभारी
9. उपर्युक्त आईसीसी के सभी सदस्य
10. सिस्टम मैनेजमेंट यूनिट
11. सभी सूचना पट
12. सुरक्षा फाइल

तेज कृष्ण कौल
(टी.के.कौल)
कुलसचिव
कुलसचिव
Registrar
सिक्किम विश्वविद्यालय
Sikkim University